<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), चित्रकूट</u>

<u>उपस्थितः— नम्रता शर्मा ....उ0प्र0 न्यायिक सेवा।</u>

मूलवाद सं0 01/2017

वीरेन्द्र कुमार शुक्ला उम्र 41 वर्ष दत्तक पुत्र रूद्रनाथ शुक्ला
निवासी — रूपौलिहन टोला नगर पंचायत राजापुर तहसील राजापुर
जिला चित्रकूट।

.... वादी

बनाम

भूपेन्द्र नाथ शुक्ला उम्र 70 वर्ष पुत्र रामेश्वर प्रसाद शुक्ला
निवासी — रूपौलिहन टोला नगर पंचायत राजापुर तहसील राजापुर
जिला चित्रकूट।

.... प्रतिवादी

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध वास्ते घोषणात्मक डिक्री तथा गोदनामें में अंकित अपनी उम्र को दुरूस्त कराने हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादी का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा प्रतिवादी भी उपरोक्त पते का मूल निवासी है। रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तऔर वह आजीवन अविवाहित थे उनके कोई सन्तान नहीं थी और न ही कोई पत्नी ही थी वह अकेले रहते थे और उनकी मृत्यु दिनांक 29.07.1998 को हो गयी है प्रार्थी/वादी ने दिनांक 29.07.1998 को इनका अन्तिम संस्कार एस0डी0ओ0 मऊ द्वारा निर्गत धनराशि बावत दाहसंस्कार जो उनके द्वारा मु0 2000/— रूपये उपलब्ध कराया गया था के तहत बहैसियत दत्तक पुत्र किया है। स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल के कोई औलाद नहीं थी न ही कोई लड़का लड़की ही जीवित थे और न ही उनकी पत्नी ही थी और आजीवन अविवाहित थे इस लिये वादी को उन्होंने बतौर दत्तक पुत्र अपनी गोद में लिया था और जब वादी को दत्तक लिया था वादी उस समय अविवाहित था और वादी की पैदाइश दिनांक 29.06.1975 की है और वरवक्त गोद लिये जाने वादी की उम्र

14 वर्ष 5 माह थी क्योंकि बरवक्त गोदनामा सम्बत 2046 यानी सन् 1989 में वादी को गोद लिया गया था और सभी गोदनामा रीति रीवाज की रस्में अदा हुयी है और प्रतिवादी ने अपनी पत्नी की सहमति से प्रार्थी/वादी को स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम की गोद में दिया था और रूद्रनाथ ने सहर्ष अपनी गोद में लिया और स्वीकार किया तब से वादी स्व0 रूद्रनाथ दत्तक पुत्र है और उसकी सम्पूर्ण जायजाद का वारिस है और बतौर वारिस उसका नाम दर्ज हो चुका है। जिसका प्रमाण वादी के पास मौजूद है। गोदनामा की रजिस्ट्री व लिखा पढी दिनांक 24 नवम्बर सन् 1993 ई0 को हुयी है और बरवक्त लिखा पढी वादी के उम्र लगभग 19 वर्ष थी और 19 वर्ष उम्र गोदनामा रजिस्टर्ड में तहरीर हुयी है जबकि गोदनामा लेने का अंकन सम्बद 2046 मिती कार्तिक बदी अमावश्या दीपावली लिखा हुआ है जबकि बरवक्त गोदनामा वादी की उम्र 14 वर्ष 5 माह थी। गोदनामा रजिस्टर्ड दिनांक 24.11.1993 में स्व0 रूद्रनाथ के हस्ताक्षर है और प्रतिवादी के भी हस्ताक्षर है तथा गवाहान कौलाश नाथ द्विवेदी पुत्र केदारनाथ व मुन्नूलाल गर्ग पुत्र रामदेव गर्ग निवासीगण राजापुर के हस्ताक्षर है जो कि एक वैध दस्तावेज है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 24.11.1993 के आधार पर वादी ने बहैसियत दत्तक पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु आवेदन समक्ष जिलाधिकारी चित्रकूट किया जिस पर उन्होंने प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2016 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि गोदनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा सत्यापित नहीं है जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका सं0 55994/16 वीरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी आदि दायर किया जिसमें मा0 हाईकोर्ट ने दिनांक 28.11.2016 को आदेश पारित करते हुये रिट खारिज किया कि वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपनी उम्र के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद के जरिये सक्षम न्यायालय से घोषित करा सकता है। हिन्दू दत्तक ग्रहण करने के लिये 15 वर्ष और अविवाहित होना अंकित है किन्तु उसमें यह भी प्राविधान है कि दत्तक ग्रहण के लिये यदि समुदाय में रीति रिवाज प्रचलित है तो उक्त रीति रिवाज के अनुसार 15 वर्ष से अधिक उम्र का लड़के को व विवाहित लड़के को भी गोद लिया जा सकता है। किन्तु उक्त तथ्य को भी नजर अन्दाज करके उपजिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा दिनांक 31.08.2016 को जो

आदेश प्रमाण पत्र निर्गत करने पारित किया गया है वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। वादी तथा प्रतिवादी एक ही हिन्दू समुदाय के व्यक्ति हैं और ब्राह्मण जाति के हैं तथा उनके समुदाय में और राजापुर कस्बे में यह रीति प्रचलित है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का जो विवाहित भी है गोद लिया जा सकता है। गोदनामा दिनांक 24.11.1993 में जो उम्र वादी की लिखी हुयी है वह वास्तव में बरवक्त गोदनामा लिये जाने की उम्र 14 वर्ष 5 माह न लिखकर रजिस्ट्री की समय की उम्र 19 वर्ष सहवन गलती से उल्लिखित हो गयी है जो पूर्णतया गलत है। वादी के पास गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त करा पाने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि यदि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है जिससे उसे भविष्य में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी क्षति मुद्रा में सम्भव नहीं है। अतः जरूरत नालिस हाजा पैदा हुयी। न्यायालय श्रीमान जी को वाद से सम्बन्धित विवाद को सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हासिल है। प्रतिवादी से स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल की जायजाद से कोई मतलब गरज नहीं है और वादी ही उसकी जायजाद का मालिक स्वामी काबिज दखील है किन्तु प्रतिवादी भी मृतक रूद्रनाथ की जायजाद के सम्बन्ध में अपना दावा बतौर वारिस करने के फिराक में है और प्रतिवादी ने दिनांक 26.12.2016 को वादी को धमकी दिया कि वह रूद्रनाथ की जायजाद में अपना दावा करेगा और उक्त धमकी दिया। लिहाजा प्रतिवादी को बजाय हुजत आइन्दा फरीक मुकदमा बनाया जाता है। वाद का कारण दिनांक 31.08.2016 को जब जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया बादहू मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय से उपचार पाने हेतु रिट में आदेश में पारित किया एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2016 को स्व0 रूद्रनाथ की जायजाद के सम्बन्ध में अपना हक जताने की धमकी दी गयी न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पैदा हुआ।

प्रतिवादी ने प्रतिवादपत्र प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किये हैं कि वादपत्र की दफा 1 लगायत 14 मय

प्रार्थना की दफा अ ब स द के स्वीकार है दफा द स्वीकार नहीं है। मृतक रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और व अविवाहित थे उनके कोई सन्तान नहीं थी उनकी मृत्यु 29.07.1998 को हुयी है और उनका दाह संस्कार भी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला जो मृतक रूद्रनाथ का दत्तक पुत्र है ने ही किया था और दाह संस्कार का पैसा एस0डी0ओ0 मऊ द्वारा निर्गत धनराशि से हुआ था। मृत्यु के पूर्व उन्होंने वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से गोद लिया था और गोदनामा की लिखा पढाई करायी थी और जब वादी को मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी सहमति से गोद में दिया गया था तब उसकी उम्र 14 साल 5 माह थी जो पन्द्रह साल से कम थी और अविवाहित था गोदनामा रजिस्टर्ड है और मृतक का एक मात्र वारिस वारिस उसका दत्तक पुत्र वादी वीरेन्द्र कुमार शुक्ल ही है अन्य कोई वारिस नहीं है मुझ प्रतिवादी को मृतक की जायजाद से अथवा मेरे लड़कों से कोई मतलब गरज नहीं है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है प्रतिवादी को वादी के हक में अनुतोष प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं है। वादी का दावा डिक्री होने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने मुझ प्रतिवादी के खिलाफ जो वाद दायर किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरे खिलाफ खर्चा हर्जा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 23.03.2017 को निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये गये –

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?

2. क्या वाद का कारण दिनांक 31.08.2016 को जब जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया। बादहू माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय से उपचार पाने हेतु रिट में आदेश पारित किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2016 को स्व0 रूद्रनाथ की जायदाद के सम्बन्ध में अपना हक जताने की धमकी दिया?

3. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष, जो न्यायालय उचित समझे, को पाने का

अधिकारी है?

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 के रूप में वीरेन्द्र कुमार शुक्ल, पी0डब्लू0 2 के रूप में कैलाश नाथ, पी0डब्लू0 3 मुन्नूलाल गर्ग को परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 6ग1 से मा0 उच्च न्यायालय आदेश 7ग1, वारिस प्रमाण पत्र 8ग1, मृत्यु प्रमाणपत्र 9ग1, गोदनामा मूल 10क1, रसीद 11ग1, आ0टी0आई0 12ग1, परिवार रजिस्टर नकल 13ग1, उद्धरण खतौनी 14ग1 तथा सूची 26ग1 से शपथपत्र वादी मय मा0 उच्च न्यायालय 27ग1 दाखिल की गयी है जबकि प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किये गये है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वादबिन्दु सं0 – 01

वादबिन्दु सं0 1 इस प्रकार का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?

इस वादबिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

वादी ने अपने मौखिक में कथन किये हैं कि प्रार्थी/वादी उपरोक्त पते का मूल निवासी है तथा प्रतिवादी भी उपरोक्त पते का मूल निवासी है। रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तऔर वह आजीवन अविवाहित थे उनके कोई सन्तान नहीं थी और न ही कोई पत्नी ही थी वह अकेले रहते थे और उनकी मृत्यु दिनांक 29.07.1998 को हो गयी है प्रार्थी/वादी ने दिनांक 29.07.1998 को इनका अन्तिम संस्कार एस0डी0ओ0 मऊ द्वारा निर्गत धनराशि बावत दाहसंस्कार जो उनके द्वारा मु0 2000/– रूपये उपलब्ध कराया गया था के तहत बहैसियत दत्तक पुत्र किया है। स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल के कोई औलाद नहीं थी न ही कोई लड़का

लड़की ही जीवित थे और न ही उनकी पत्नी ही थी और आजीवन अविवाहित थे इस लिये वादी को उन्होंने बतौर दत्तक पुत्र अपनी गोद में लिया था और जब वादी को दत्तक लिया था वादी उस समय अविवाहित था और वादी की पैदाइश दिनांक 29.06.1975 की है और वरवक्त गोद लिये जाने वादी की उम्र 14 वर्ष 5 माह थी क्योंकि बरवक्त गोदनामा सम्बत 2046 यानी सन् 1989 में वादी को गोद लिया गया था और सभी गोदनामा रीति रीवाज की रस्में अदा हुयी है और प्रतिवादी ने अपनी पत्नी की सहमति से प्रार्थी/वादी को स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम की गोद में दिया था और रूद्रनाथ ने सहर्ष अपनी गोद में लिया और स्वीकार किया तब से वादी स्व0 रूद्रनाथ दत्तक पुत्र है और उसकी सम्पूर्ण जायजाद का वारिस है और बतौर वारिस उसका नाम दर्ज हो चुका है। जिसका प्रमाण वादी के पास मौजूद है। गोदनामा की रजिस्ट्री व लिखा पढी दिनांक 24 नवम्बर सन् 1993 ई0 को हुयी है और बरवक्त लिखा पढी वादी के उम्र लगभग 19 वर्ष थी और 19 वर्ष उम्र गोदनामा रजिस्टर्ड में तहरीर हुयी है जबकि गोदनामा लेने का अंकन सम्बद 2046 मिती कार्तिक बदी अमावश्या दीपावली लिखा हुआ है जबकि बरवक्त गोदनामा वादी की उम्र 14 वर्ष 5 माह थी। गोदनामा रजिस्टर्ड दिनांक 24.11.1993 में स्व0 रूद्रनाथ के हस्ताक्षर है और प्रतिवादी के भी हस्ताक्षर है तथा गवाहान कौलाश नाथ द्विवेदी पुत्र केदारनाथ व मुन्नूलाल गर्ग पुत्र रामदेव गर्ग निवासीगण राजापुर के हस्ताक्षर है जो कि एक वैध दस्तावेज है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 24. 11.1993 के आधार पर वादी ने बहैसियत दत्तक पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु आवेदन समक्ष जिलाधिकारी चित्रकूट किया जिस पर उन्होंने प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2016 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि गोदनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा सत्यापित नहीं है जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका सं0 55994/16 वीरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी आदि दायर किया जिसमें मा0 हाईकोर्ट ने दिनांक 28.11.2016 को आदेश पारित करते हुये रिट खारिज किया कि वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपनी उम्र के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद के जरिये सक्षम न्यायालय से घोषित करा सकता है। हिन्दू दत्तक ग्रहण करने के लिये 15 वर्ष और अविवाहित होना अंकित है किन्तु उसमें यह भी प्राविधान है

कि दत्तक ग्रहण के लिये यदि समुदाय में रीति रिवाज प्रचलित है तो उक्त रीति रिवाज के अनुसार 15 वर्ष से अधिक उम्र का लड़के को व विवाहित लड़के को भी गोद लिया जा सकता है। किन्तु उक्त तथ्य को भी नजर अन्दाज करके उपजिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा दिनांक 31.08.2016 को जो आदेश प्रमाण पत्र निर्गत करने पारित किया गया है वह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। वादी तथा प्रतिवादी एक ही हिन्दू समुदाय के व्यक्ति हैं और ब्राह्मण जाति के हैं तथा उनके समुदाय में और राजापुर कस्बे में यह रीति प्रचलित है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का जो विवाहित भी है गोद लिया जा सकता है। गोदनामा दिनांक 24.11.1993 में जो उम्र वादी की लिखी हुयी है वह वास्तव में बरवक्त गोदनामा लिये जाने की उम्र 14 वर्ष 5 माह न लिखकर रजिस्ट्री की समय की उम्र 19 वर्ष सहवन गलती से उल्लिखित हो गयी है जो पूर्णतया गलत है। वादी के पास गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त करा पाने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि यदि न्यायालय श्रीमान जी द्वारा गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है जिससे उसे भविष्य में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी क्षति मुद्रा में सम्भव नहीं है। अतः जरूरत नालिस हाजा पैदा हुयी। न्यायालय श्रीमान जी को वाद से सम्बन्धित विवाद को सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार हासिल है। प्रतिवादी से स्व0 रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल की जायजाद से कोई मतलब गरज नहीं है और वादी ही उसकी जायजाद का मालिक स्वामी काबिज दखील है किन्तु प्रतिवादी भी मृतक रूद्रनाथ की जायजाद के सम्बन्ध में अपना दावा बतौर वारिस करने के फिराक में है और प्रतिवादी ने दिनांक 26.12.2016 को वादी को धमकी दिया कि वह रूद्रनाथ की जायजाद में अपना दावा करेगा और उक्त धमकी दिया। लिहाजा प्रतिवादी को बजाय हुजत आइन्दा फरीक मुकदमा बनाया गया है। वाद का कारण दिनांक 31.08.2016 को जब जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया बादहू मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय से उपचार पाने हेतु रिट में आदेश में पारित किया एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2016 को स्व0 रूद्रनाथ की जायजाद के सम्बन्ध में अपना हक जताने

की धमकी दी गयी। अतः वादी के पास न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था।

प्रतिवादी द्वारा अपने मौखिक तर्क में कथन किये हैं कि वादपत्र की दफा 1 लगायत 14 मय प्रार्थना की दफा अ ब स द के स्वीकार है दफा द स्वीकार नहीं है। मृतक रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम शुक्ल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और व अविवाहित थे उनके कोई सन्तान नहीं थी उनकी मृत्यु 29. 07.1998 को हुयी है और उनका दाह संस्कार भी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला जो मृतक रूद्रनाथ का दत्तक पुत्र है ने ही किया था और दाह संस्कार का पैसा एस0डी0ओ0 मऊ द्वारा निर्गत धनराशि से हुआ था। मृत्यु के पूर्व उन्होंने वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से गोद लिया था और गोदनामा की लिखा पढाई करायी थी और जब वादी को मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी सहमति से गोद में दिया गया था तब उसकी उम्र 14 साल 5 माह थी जो पन्द्रह साल से कम थी और अविवाहित था गोदनामा रजिस्टर्ड है और मृतक का एक मात्र वारिस वारिस उसका दत्तक पुत्र वादी वीरेन्द्र कुमार शुक्ल ही है अन्य कोई वारिस नहीं है मुझ प्रतिवादी को मृतक की जायजाद से अथवा मेरे लड़कों से कोई मतलब गरज नहीं है। प्रतिवादी द्वारा कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गयी है प्रतिवादी को वादी के हक में अनुतोष प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं है। वादी का दावा डिक्री होने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने मुझ प्रतिवादी के खिलाफ जो वाद दायर किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरे खिलाफ खर्चा हर्जा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

पी0डब्लू0 1 वीरेन्द्र कुमार शुक्ल ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में कथन किये हैं कि मैं शपथकर्ता साक्षी उपरोक्त वाद में वादी हूं और मुकदमा के तथ्यों से भलि भांति परिचित हूं मेरे द्वारा मौजूदा वाद दत्तक पुत्र घोषित किये जाने का वाद दायर किया गया है मुझे स्वर्गीय रूद्रनाथ शुक्ला ने जो अविवाहित थे जिनके कोई लड़का लड़की नहीं है और ही उनकी पत्नी ही बरवक्त गोदनामा जीवित ही थी ने सम्बद्ध 2046 को यानि सन् 1989 में दीपावली के दिन गोद में लिया था जिसका प्रतिवादी ने मुझ वादी को अपनी पत्नी के सहमति से रूद्रनाथ शुक्ला की गोद में मुझे सौंप दिया था और उन्होंने सहर्ष मुझे गोद

ले लिया था बरवक्त गोदनामा मुझ वादी की उम्र 15 वर्ष से कम थी और मैं अविवाहित था मुझ वादी की पैदाइश 19.06.1975 की है और बरवक्त गोदनामा वादी 14 वर्ष 5 माह का था। विधवत हवन पूजन व रस्म अदायगी के बाद गोदनामा की कार्यवाही सम्पन्न हुयी है। गोदनामा की लिखा पढी 24 नवम्बर 1993 को हुयी है जो रजिस्टर्ड है जिसके गवाहान कैलाश नाथ द्विवेदी व मुन्नूलाल गर्ग निवासीगण राजापुर है। उक्त गोदनामा जो रजिस्टर्ड है उसको मेरे द्वारा दाखिल किया गया है जिसको मैं सत्यापित करता हूं उक्त गोदनामा में प्रतिवादी के भी हस्ताक्षर है। मुझ साक्षी ने स्वर्गीय रूद्रनाथ शुक्ला दाह संस्कार तहसील मऊ के उपजिलाधिकारी द्वारा शासन से निर्गत धनराशि से किया गया है जिसका प्रमाण पत्र भी मेरे द्वारा दाखिल किया गया है और रूद्रनाथ की मृत्यु के बाद बहैसियत दत्तक पुत्र मुझ वादी का नाम रूद्रनाथ के स्थान पर दर्ज हो चुका है जिसका प्रमाण भी वादपत्र के साथ दाखिल किया गया है। जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। मृतक रूद्रनाथ शुक्ला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मृतक रूद्रनाथ शुक्ला के स्वतंत्रता ग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में सुविधा प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको उन्होंने 31.08.2016 को निरस्त कर दिया और कहा कि गोदनामा सक्षम न्यायालय द्वारा सत्यापित नहीं है जिसके विरूद्ध मुझ शपथकर्ता ने रिट याचिका दाखिल किया किन्तु मा0 हाई कोर्ट ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न दर्शाते हुये रिट निरस्त कर दिया और सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का विकल्प खुला रखा इस लिये यह वाद दायर किया गया है। न्यायालय श्रीमान जी द्वारा वादी को दत्तक पुत्र घोषित किया जावे और गोदनामा प्रमाणित किया जावे इस वास्ते यह वाद दायर हुआ है। प्रतिवादी ने भी मृतक रूद्रनाथ शुक्ला की सम्पत्ति पर हक जताने पर व माननीय हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका खारिज किये जाने पर और जिलाधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र न जारी किये जाने की दशा में वादी शपथकर्ता के पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा एतएव वाद दायर करने की आवश्यकता हुयी। मुझ शपथकर्ता द्वारा वादपत्र के साथ फेहरिस्त से कागजात दिनांक 02.01.2017 को दाखिल किये गये हैं जिन्हे मैं प्रमाणित करता हूं जो सही व सच है।

पी0डब्लू0 2 कैलाश नाथ ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में कथन किये हैं कि मैं स्व0 रूद्रनाथ शुक्ला व वादी व प्रतिवादी को अच्छी तरह से जानता पहचानता हूं। स्व0 रूद्रनाथ शुक्ला पुत्र छोटू राम शुक्ला एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे आजीवन अविवाहित उनके कोई लड़का लड़की नहीं था उन्होंने अपने श्राद्ध तरपण इत्यादि के लिये वीरेन्द्र कुमार को गोद में लिया है और भूपेन्द्र शुक्ला उनकी पत्नी वादी को अपनी सहमति से रूद्रनाथ शुक्ला को गोद में दिया था और बरवक्त गोदनामा व रीतिरिवाज में व गवाह मुन्नूलाल गर्ग व अन्य बहुत से लोग मौजूद थे गोदनामा की रस्म अदायगी दीपावली अमस्वया सम्बद्ध 2046 में हुयी थी और उस समय वादी की उम्र लगभग 14 साल 5 माह थी। गोदनामा की लिखा पढी 24.11.1993 को मेरे सामने हुयी थी गोदनामा सुनने व लिखने के बाद रूद्रनाथ शुक्ला ने हस्ताक्षर बनाये थे और बतौर गवाहान मैने तथा मुन्नूलाल गर्ग ने बतौर गवाही हस्ताक्षर बनाये थे और रजिस्ट्री दफ्तर में जाकर हम लोगों ने वहां भी हस्ताक्षर बनाये हैं। पत्रावली पर दाखिल गोदनामा वही गोदनामा है जो मेरे सामने तहरीर हुआ है जिसमें बने हस्ताक्षर अपने प्रमाणित करता हूं। वादी ने मृतक रूद्रनाथ शुक्ला का दाह संस्कार किया है और उसकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वारिस है।

पी0डब्लू0 3 मुन्नूलाल ने अपने साक्ष्य शपथपत्र में कथन किये हैं कि मैं स्व0 रूद्रनाथ शुक्ला व वादी व प्रतिवादी को अच्छी तरह से जानता पहचानता हूं। स्व0 रूद्रनाथ शुक्ला पुत्र छोटू राम शुक्ला एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे आजीवन अविवाहित थे उनके कोई लड़का नहीं था उन्होंने अपने श्राद्ध तरपण इत्यादि के लिये वीरेन्द्र कुमार को गोद में लिया है और भूपेन्द्र शुक्ला उनकी पत्नी वादी को अपनी सहमति से रूद्रनाथ शुक्ला को गोद में दिया था और बरवक्त गोदनामा व रीतिरिवाज में व गवाह कैलाश नाथ द्विवेदी व अन्य बहुत से लोग मौजूद थे गोदनामा की रस्म अदायगी दीपावली अमस्वया सम्बद्ध 2046 में हुयी थी और उस समय वादी की उम्र लगभग 14 साल 5 माह थी। गोदनामा की लिखा पढी 24.11.1993 को मेरे सामने हुयी थी गोदनामा सुनने व लिखने के बाद रूद्रनाथ शुक्ला ने हस्ताक्षर बनाये थे और बतौर गवाहान मैने तथा कैलाशनाथ द्विवेदी ने बतौर गवाही हस्ताक्षर बनाये थे और रजिस्ट्री

दफ्तर में जाकर हम लोगों ने वहां भी हस्ताक्षर बनाये हैं। पत्रावली पर दाखिल गोदनामा वही गोदनामा है जो मेरे सामने तहरीर हुआ है जिसमें बने हस्ताक्षर अपने प्रमाणित करता हूं। वादी ने मृतक रूद्रनाथ शुक्ला का दाह संस्कार किया है और उसकी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का वारिस है।

पत्रावली पर उभयपक्ष के अभिवचनों व उपलब्ध साक्ष्य के समेकित विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद गोदनामा दिनांकित 24.11.1993 को वैध घोषित किये जाने हेतु तथा यह घोषित किये जाने हेतु कि वादी स्व0 रूद्रनाथ का वैध दत्तक पुत्र है साथ ही उक्त गोदनामें में अंकित आयु के दुरूस्तीकरण हेतु यह कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि रूद्रनाथ पुत्र छोटू राम शुक्ल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे आजीवन अविवाहित थे और उनकी कोई सन्तान नहीं थी। उनकी मृत्यु दिनांक 29.07.1998 को हो गयी तथा वादी ने उनका अन्तिम संस्कार एस0डी0ओ0 मउ द्वारा निर्गत धनराशि के तहत बहैसियत दत्तक पुत्र किया है। वादी को उन्होंने बतौर दत्तक पुत्र गोद लिया था। जब वादी को गोद लिया गया वादी उस समय अविवाहित था। वादी की पैदाइस दिनांक 29.06.1975 की है और गोद लिये जाने के समय उसकी उम्र 14 वर्ष 5 माह थी। उक्त गोदनामें में सभी रीति रश्में अदा हुयीं हैं और प्रतिवादी ने अपनी सहमति से वादी को रूद्रनाथ पुत्र छोटूराम को गोद दिया। तबसे वादी स्व0 रूद्रनाथ का दत्तक पुत्र है और उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का वारिस है। जिसका प्रमाण वादी के पास मौजूद है। गोदनामा की रजिस्ट्री दिनांक 24.11.1993 को हुयी है और लिखा पढी के समय वादी की उम्र लगभग 19 वर्ष थी। जबकि गोद लेते समय उसकी उम्र 14 वर्ष 5 माह थी तथा उक्त गोदनामा दिनांकित 24.11.1993 पर स्व0 रूद्रनाथ और प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं जो कि एक वैध दस्तावेज है तथा उक्त गोदनामा के आधार पर वादी ने बहैसियत दत्तक पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाणपत्र हेतु जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन किया। जिस पर उन्होंने प्रमाणपत्र दिनांक 31.08.2016 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि गोदनामा सक्षम न्यायालय द्वारा सत्यापित नहीं है। जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.11.2016 को यह आदेश पारित करते हुये खारिज कर दिया कि

वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपनी उम्र के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद के जरिये सक्षम न्यायालय से घोषित करा सकता है। दत्तक ग्रहण के लिये यदि समुदाय में रीति रिवाज प्रचलित है तो उक्त रीति रिवाज के अनुसार 15 वर्ष से अधिक तथा विवाहित व्यक्ति को भी गोद लिया जा सकता है। किन्तु उक्त तथ्य को भी नजर अन्दाज करके दिनांक 31.08.2016 को आदेश पारित किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। वादी और प्रतिवादी एक ही हिन्दू समुदाय और ब्राम्हण जाति के हैं। उनके समुदाय और राजापुर कस्बे में यह रीति प्रचिलित है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का जो विवाहित भी है, गोद लिया जा सकता है तथा गोदनामा में रजिस्ट्री के समय सहवन गलती से उम्र 19 वर्ष उल्लिखित हो गयी है जो पूर्णतया गलत है। वादी के पास गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त करा पाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि यदि गोदनामा में लिखी उम्र को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता तथा प्रतिवादी भी मतलब रूद्रनाथ की सम्पत्ति में अपना दावा बतौर वारिस करने की फिराक में है।

प्रतिवादी द्वारा अपना प्रतिवादपत्र दाखिल कर वादपत्र के कथनों को स्वीकार करते हुये कथन किये गये हैं कि रूद्रनाथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह अविवाहित थे, उनकी कोई सन्तान नहीं थी। उनकी मृत्यु दिनांक 29.07.1988 को हुयी थी और उनका दाह संस्कार वीरेन्द्र कुमार शुक्ला ने किया था जो कि उनका दत्तक पुत्र है। मृत्यु के पूर्व उन्होंने वादी को दत्तक पुत्र की हैसियत से गोद लिया था और गोदनामा की लिखा पढी किया था। जब वादी को मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी पत्नी के सहमति से गोद लिया गया था तब उसकी उम्र 14 वर्ष 5 माह थी और वह अविवाहित था। गोदनामा रजिस्टर्ड है तथा वादी को मृतक की जायदाद से अथवा उसके लड़कों से कोई मतलब गरज नहीं है। अतः प्रतिवादी को वादी के हक में अनुतोष प्राप्त कराने में कोई अवरोध नहीं है।

प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा स्वयं को मृतक स्व0 रूद्र प्रसाद का दत्तक पुत्र होने का कथन करते हुये गोदनामा दिनांकित 24.11.1993 को दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त वारिस प्रमाण पत्र तथा स्व0 रूद्रप्रसाद का

मृतक प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया है। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि उक्त गोदनामा दिनांकित 24.11.1993 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा बब्बू को गोद लेने सम्बन्धित तथा बब्बू का नाम परिवर्तित कर वीरेन्द्र प्रसाद किये जाने सम्बन्धी कथन भी अंकित हैं तथा वीरेन्द्र प्रसाद की आयु 19 वर्ष अंकित की गयी है। जहां तक वादी के इस कथन का सम्बन्ध है कि उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड है तथा वैध है तो इस सम्बन्ध में प्रश्नगत गोदनामें के रजिस्टर्ड होने सम्बन्धी तथ्य विवादित नहीं है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना मात्र यह अवधारित करता है कि वह उसके लिये विहित रीति से सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष निष्पादित किया गया है तथा उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है जिस रूप में उसे निष्पादित किया गया था, जो कि एक उपधारणा है। परन्तु यह उपधारणा उस दस्तावेज के रजिस्टर्ड होने के सम्बन्ध में की जाती है, उस दस्तावेज की अर्न्तवस्तु के सम्बन्ध में नहीं। अर्थात न्यायालय किसी लिखित या रजिस्टर्ड दस्तावेज के सम्बन्ध में यह उपधारित करता है कि उस दस्तावेज में जो कथन या विशिष्टियां अंकित की गयीं है वह सही हैं जब तक कि उस दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य या निरस्त न किया जाय अथवा उसमें वर्णित तथ्यों का किसी अन्य दस्तावेज द्वारा खण्डन नहीं किया गया हो। इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम –

दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य – जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्धन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिये गये हों, तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाये, ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किये जाने के लिये स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन्पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अर्न्तवस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया

जायेगा।

अपवाद 1 – जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक आफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे आफिसर के नाते कार्य किया है तब उस लेख का, जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अपवाद 2 – जिन विलों को भारत में प्रोबेट मिला है, वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण 1 – यह धारा उन दशाओं को, जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट है, समान रूप से लागू है।

स्पष्टीकरण 2 – जहां कि एक से अधिक मूल हैं, वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 3 – इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि किसी दस्तावेज का खण्डन अन्य किसी दस्तावेज से ही किया जा सकेगा अथवा ऐसे दस्तावेज के अभाव में उन स्थितियों में जिसमें द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है, द्वितीय साक्ष्य द्वारा किया जायेगा न कि मौखिक साक्ष्य द्वारा, परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त गोदनामें में वादी की आयु गलत अंकित हो गयी है। इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा यह कथन भी किया गया है कि दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के तथा विवाहित व्यक्ति को गोद नहीं लिया जा सकता जब तक कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढि या प्रथा ऐसे व्यक्ति को दत्तक लिया जाना अनुज्ञात न करती हो, तो इस सम्बन्ध में वादी द्वारा यह कथन किये गये हैं

कि पक्षकारों के मध्य ऐसे रीति रिवाज प्रचलित हैं जिनके अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के तथा विवाहित व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है। परन्तु उक्त रीति रिवाज के सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य ऐसा कोई रीति रिवाज प्रचलित है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक ओर तो वादी द्वारा पक्षकारों के मध्य प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लिया जाना स्वीकार किया गया है, वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा गोदनामें में अपनी आयु त्रुटिवश 14 वर्ष 5 माह के स्थान पर 19 वर्ष होने का कथन किया गया है, जिससे स्वयं वादी के कथनों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है तथा इस आधार पर उसके कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते। इस सम्बन्ध में यहां हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

<u>धारा 10 व्यक्ति जो दत्तक लिये जा सकते हैं</u> –

कोई भी व्यक्ति दत्तक लिये जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो, अर्थात –

(i) वह हिन्दू है,

(ii) वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या ली जा चुकी है,

(iii) उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो,

(iv) उसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू हाने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

उक्त प्रावधान के अवलनोकन से विदित है कि किसी व्यक्ति को दत्तक में तब लिया जा सकता है जब कि वह हिन्दू हो, पहले से दत्तक न लिया गया हो, अविवाहित हो तथा 15 वर्ष से कम आयु का हो। जब तक कि

पक्षकरों को लागू होने वाली कोई रूढि या प्रथा विवाहित व्यक्ति या 15 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्ति का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात न करती हो। वादी द्वारा दाखिल प्रश्नगत गोदनामें से स्पष्ट है कि उसमें वादी की आयु 19 वर्ष अंकित है। जहां तक वादी के इस कथन का सम्बन्ध है कि गोद लिये जाने के समय उसकी आयु 14 वर्ष 5 माह थी तो इस सम्बन्ध में वादी द्वारा अपनी आयु का अथवा जन्म सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि गोदनामें को रजिस्टर्ड किये जाने के समय उसकी आयु 19 वर्ष थी परन्तु गोद लिये जाने के समय वह 14 वर्ष 5 माह का था। परन्तु वादी द्वारा दाखिल गोदनामें में स्व0 रूद्रनाथ के द्वारा यह कथन अंकित किये गये हैं कि ''अतएव मैंने लड़के के पिता श्री भूपेन्द्र नाथ से प्रार्थना किया कि उक्त श्री बब्बू को मुझे गोद दे दे जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया है।'' साथ ही वादी द्वारा यह कथन भी किये गये हैं कि वादी को सम्वत् 2046 यानी सन 1989 में गोद लिया गया था और गोदनामा की रजिस्ट्री और लिखा पढी 24 नवम्बर 1993 की है उस वक्त वादी की उम्र 19 वर्ष थी, परन्तु इस सम्बन्ध में उक्त गोदनामें में कहीं भी वादी को पूर्व में उक्त तिथि को गोद लिये जाने सम्बन्धी तथ्य अंकित नहीं है। अतः उक्त कथनों से स्पष्ट है कि वादी को गोदनामा के पंजीकरण के समय गोद लिया गया है। यदि तर्क के रूप में यह मान भी लिया जाय तो भी यहां यह तथ्य विचारणीय है कि वादी के द्वारा उक्त गोदनामें को गोद लिये जाने के समय ही उसे पंजीकृत क्यों नहीं कराया गया तथा वादी द्वारा न तो इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही कोई पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि गोद लिये जाते समय वादी की आयु 15 वर्ष से कम थी। अतः हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार वादी उसके लिये विहित सम्पूर्ण शर्तों को पूर्ण नहीं करता है जिससे वह वैध दत्तक की श्रेणी में नहीं आता है।

साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा स्वयं को वैध रीतिरिवाज के द्वारा दत्तक लिये जाने का कथन किया गया है जबकि उसके द्वारा उक्त रीति रिवाज या अनुष्ठान सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली पर

दाखिल नहीं किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त **हिन्दू भरण पोषण तथा दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 की धारा 9 (2)** यह प्रावधानित करती है कि यदि माता–पिता जीवित हैं तो उन्हें पुत्र या पुत्री को दत्तक में देने का समान अधिकार होगा परन्तु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी द्वारा दूसरे की सम्मति से ही किया जायेगा अन्यथा नहीं जबतक कि उनमें से एक ने पूर्ण और अन्तिम रूप से संसार का त्याग नहीं किया है या हिन्दू नहीं रह गया है या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित नहीं किया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में यह तथ्य विचारणीय है कि वादी द्वारा दाखिल गोदनामें में न तो वादी को दत्तक को देने वाले उसके पिता भूपेन्द्र नाथ की पत्नी का कोई विवरण दिया गया है और न ही उनकी सम्मति सम्बन्धी कोई तथ्य उक्त गोदनामें में अंकित किये गये हैं। अतः इस प्रकार भी यह स्पष्ट है कि उक्त गोदनामें में वैध दत्तक ग्रहण सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया गया है।

जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी द्वारा पी0डब्लू0 1 के रूप में साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में हुयी अपनी जिरह में कथन किया है कि जिस समय उसे गोद लिया गया उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष 5 माह थी जो 15 वर्ष से कम थी। उसने जन्मतिथि का प्रमाण पत्र दाखिल किया है जिसमें उसकी जन्म तिथि 19.06.1975 अंकित है। उसके दत्तक पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यह कहना गलत है कि उसने रूद्र नारायण शुक्ला की जायदाद हड़पने की गरज से फर्जी गोदनामा तैयार कराया है। यद्यपि वादी द्वारा प्रश्नगत गोदनामें के गवाह कैलाशनाथ तथा मुन्नू लाल गर्ग का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल कर उन्हें न्यायालय में परीक्षित कराया है। जिन्होंने अपनी जिरह में कथन किये हैं कि वे रूद्रनाथ शुक्ला को अच्छी तरह से जानते हैं। रूद्रनाथ शुक्ला ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है तब उसकी उम्र 14 वर्ष 5 माह थी और उसी समय उसका नाम वीरेन्द्र कुमार रखा गया। वीरेन्द्र कुमार को विधिवत वैदिक रीति रिवाज से गोद लिया है। उक्त गोदनामा की लिखा पढी उनके समक्ष हुयी थी तथा उन दोनों ने बतौर गवाह हस्ताक्षर बनाये थे और रूद्रनाथ शुक्ला ने स्वयं लिखाया था जिसकी रजिस्ट्री हुयी थी।

उपरोक्त से यह विदित है कि वादी के द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किये गये हैं कि उसने जन्मतिथि का प्रमाण पत्रावली पर दाखिल किया है परन्तु उसने अपनी जन्मतिथि 19.06.1975 से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। जहां तक उसके द्वारा दाखिल परिवार रजिस्टर की प्रति का प्रश्न है तो उक्त परिवार रजिस्टर की प्रति में वीरेन्द्र कुमार शुक्ला की उम्र 41 वर्ष अंकित है परन्तु उनके जन्म तिथि 19.06.1975 सम्बन्धी कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं है। साथ ही यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि एक ओर वादी द्वारा अपने वादपत्र में अपनी जन्मतिथि 29.06.1975 होने का कथन किया गया है जबकि वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र व जिरह में जन्मतिथि 19.06.1975 होने का कथन किया गया है। जिससे भी वादी के कथनों में स्वयं विरोधाभाष उत्पन्न होता है तथा वह अपनी जन्मतिथि के सम्बन्ध में सही तथ्य पत्रावली पर साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त यहां यह तथ्य भी उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की परिवार रजिस्टर में अंकित आयु उसकी आयु का निश्चायक/प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा उक्त गोदनामें को सही स्वीकार करते हुये वादी को दत्तक में दिये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं। यहां यह तथ्य उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि दत्तक के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि दत्तक में देने वाला व्यक्ति दत्तक देने सम्बन्धी प्रस्ताव रखे जिसे दत्तक लेने वाला व्यक्ति स्वीकार करे। परन्तु वादी द्वारा जो गोदनामा दाखिल किया गया है उसमें मात्र स्व0 रूद्रनाथ द्वारा वादी को दत्तक में लिये जाने सम्बन्धी कथन अंकित किये गये हैं तथा यह कथन अंकित किया गया है कि ''अतएव मैने लड़के के पिता श्री भूपेन्द्र नाथ से प्रार्थना किया कि उक्त श्री बब्बू को मुझे गोद दे दे जिसे उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया है।'' उक्त कथनों से स्पष्ट है कि उक्त गोदनामें में स्व0 रूद्रनाथ द्वारा दत्तक में लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव किया गया है परन्तु उसमें प्रतिवादी का स्वयं उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी स्पष्ट कथन अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में यहां **माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा द्वारा विधि व्यवस्था सरत चन्द्र बेहरा बनाम सन्तोष**

कुमार बेहरा, ए0आई0आर0 2016, उड़ीस 185 का उल्लेख किया जाना समीचीन है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जब विलेख में नैसर्गिक माता–पिता के देने तथा दत्तक ग्रहीत माता–पिता के लेने के तथ्य के बारे में कोई संकेत नहीं है तब वह दत्तक ग्रहण लेने के बारे में वैध उपधारणा उद्भूत नहीं होती है। अतः उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूपेण लागू होने योग्य है, जिससे उक्त गोदनामें में वर्णित तथ्यों के आधार पर वैध दत्तक ग्रहण सम्बन्धी उपधारणा उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गोदनामा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसके लिये विहित रीति से निष्पादित किया गया है जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय को उसकी अन्तर्वस्तु तथा उसमें अंकित तथ्यों में की गयी त्रुटि आदि को संशोधित अथवा दुरूस्त किये जाने सम्बन्धी कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि तर्क रूप में वादी के कथन को सही मान भी लिया जाय तो भी वादी के पक्ष पर यह आवश्यक था कि वह उक्त त्रुटि के दुरूस्तीकरण अथवा संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करता। परन्तु वादी द्वारा ऐसी कार्यवाही सम्बन्धी कोई प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही प्रस्तुत मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी विचारणीय है कि वादी के द्वारा स्व0 रूद्रनाथ की आराजी के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 13.04.2010 द्वारा उक्त गोदनामा के आधार पर दाखिल खारिज कराया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश वर्ष 2010 का है जो कि उक्त गोदनामें के आधार पर किया गया है। जिससे यह विदित होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादी की उम्र 19 वर्ष अर्थात वादी को वयस्क अवधारित करते हुये उक्त आदेश पारित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादी के द्वारा उक्त गोदनामें के आधार पर गोदनामें की तिथि पर स्वयं को वयस्क होने का कथन करते हुये दाखिल खारिज कराया गया है। जबकि दूसरी ओर वादी द्वारा यह वाद गोदनामें की तिथि पर अपनी आयु 14 वर्ष 5 माह अंकित कराने हेतु योजित किया गया था। जिससे इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति एक ही श्वांस में हां तथा ना नहीं कह सकता। अतः इस प्रकार वादी के कथनों में स्वयं विरोधाभाष उत्पन्न होता है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया तथा वादी के द्वारा

मात्र स्व0 रूद्रनाथ शुक्ला के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित सम्बन्धी लाभों को प्राप्त करने हेतु योजित किया गया है। ऐसी स्थिति में यद्यपि यह तथ्य पत्रावली पर स्पष्ट है कि गोदनामा दिनांकित 24.11.1993 रजिस्टर्ड है परन्तु वादी पत्रावली में यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त गोदनामें में उसकी आयु 19 वर्ष सहवन अंकित हो गयी है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी आयु सम्बन्धी त्रुटि को दुरूस्त कराने का अधिकारी नहीं है। साथ ही उपरोक्त विवचना के आधार पर वादी स्वयं को दत्तक लिये जाने के समय 15 वर्ष से कम आयु का होने सम्बन्धी तथ्य साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी को हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनिमय 1956 के अन्तर्गत वैध दत्तक नहीं माना जा सकता। साथ ही उक्त गोदनामा के सम्बन्ध में मात्र यह एक उपधारणा है कि वह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है उक्त गोदनामा में अंकित तथ्य भी हिन्दू दत्तक भरण पोषण अधिनिमय 1956 में विहित उपबन्ध व शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं अतः उक्त गोदनामें को उपरोक्त अधिनियम के अनुसार वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। जिसके फलस्वरूप वादी अपने वादपत्र के माध्यम से चाहे गये याचित अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादबिन्दु सं0 1 वादी के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वादबिन्दु सं0 02</u>

वादबिन्दु सं0 2 इस प्रकार का विरचित किया गया है कि क्या वाद का कारण दिनांक 31.08.2016 को जब जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया। बादहू माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय से उपचार पाने हेतु रिट में आदेश पारित किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2016 को स्व0 रूद्रनाथ की जायदाद के सम्बन्ध में अपना हक जताने की धमकी दिया?

इस वादबिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

उक्त वादबिन्दु के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा यह कथन किया गया है कि वाद का कारण दिनांक 31.08.2016 को तब उत्पन्न

हुआ जब जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया गया तथा दिनांक 26.12.2016 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा स्व0 रूद्रनाथ की जायदाद के सम्बन्ध में अपना हक जताने के सम्बन्ध में धमकी दिया। जिससे विदित है कि वादी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन जिला अधिकारी के समक्ष किया गया था परन्तु उनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया था जिससे स्पष्ट है कि वादी को उक्त वाद योजित करने का वाद कारण जिलाधिकारी के विरूद्ध उत्पन्न हुआ। परन्तु वादी के द्वारा जिलाधिकारी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के समस्त कथनों को स्वीकार करते हुये यह कथन अंकित किये गये हैं कि प्रतिवादी को वादी के पक्ष में अनुतोष प्राप्त करने में कोई अवरोध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जब प्रतिवादी द्वारा स्वयं वादी के कथनों को स्वीकार किया गया है तथा वादी को अनुतोष दिलाये जाने में भी कोई आपत्ति व अवरोध नहीं है तब किस प्रकार वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद को योजित करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ? इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि वादी के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी आवेदन किया गया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आहूत बैठक में समिति द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 31.08.2016 को यह निष्कर्ष दिया गया कि वीरेन्द्र कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2012 में उल्लिखित तथ्य के उन्हें 1989 में दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया गया था, उस समय उनकी आयु 15 वर्ष से कम थी, समिति को इस सम्बन्ध में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, गोदनामा को सक्षम न्यायालय से आवेदक को उद्घोषित कराना चाहिये। सक्षम न्यायालय ही गोदनामा की पुष्टि करने के लिये सक्षम है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वादी को जिलाधिकारी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र से इन्कार करने के फलस्वरूप, जिलाधिकारी के विरूद्ध अनुतोष याचित करने का विकल्प उपलब्ध था न कि प्रतिवादी के विरूद्ध। इस सम्बन्ध में यहां विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

<u>धारा 34 प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार</u> – कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक से उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे :

परन्तु कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुये भी वैसा करने में लोप करे।

स्पष्टीकरण – सम्पत्ति का न्यासी ऐसे हक का ''प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध व्यक्ति'' है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है, और जिसके लिये वह न्यासी होता यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता।

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से विदित है कि जहां किसी व्यक्ति की किसी विधिक हैसियत अथवा सम्पत्ति के बारे में किसी अधिकार के हक का प्रत्याख्यान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो तो वह व्यक्ति ऐसे अन्य व्यक्ति के विरूद्ध वाद संस्थित कर सकता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध उसके हक व हैसियत से इंकार किया गया है वाद योजित न करते हुये ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वाद योजित कर दिया गया है जिसके द्वारा वादी के हक व हैसियत से इन्कार नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में भी यह स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद लाने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः वादकारण के अभाव में वादी का वाद पोषणीय नहीं है।

तद्नुसार वादबिन्दु सं0 2 वादी के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वादबिन्दु सं0 03</u>

वादबिन्दु सं0 3 इस प्रकार का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष, जो न्यायालय उचित समझे, को पाने का अधिकारी है?

चूंकि वादबिन्दु सं0 1 के विश्लेषण करते समय यह अवधारित किया जा चुका है कि वादी अपना वाद साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है। साथ ही वादबिन्दु सं0 2 के विश्लेषण से भी यह स्पष्ट है कि वादी को प्रस्तुत वाद लाने का कोई वादकारण प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी किसी अन्य अनुतोष को भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

तद्नुसार वादबिन्दु सं0 3 निस्तारित किया जाता है।

आदेश

वादी का वाद खारिज किया जाता है। वाद की परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 30.11.2018

(नम्रता शर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)
चित्रकूट

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक : 30.11.2018

(नम्रता शर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)
चित्रकूट